

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/कार्या.स्था/सेल-1/2020/1970
प्रति,

भोपाल, दिनांक 09/10/2020

समस्त शासकीय सेवक,
(प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी)
स्थानीय कार्यालय।

विषय:— प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के फलस्वरूप आदर्श आचार-संहिता का पालन सुनिश्चित करने बाबत।

—00—

विषयान्तर्गत चुनाव आयोग द्वारा प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हेतु दिनांक 03 नवम्बर 2020 को मतदान किये जाने की घोषणा की गई है।

अतः समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराया जाता है कि इस प्रकार की कोई विभागीय कार्यवाही न की जाये जिससे कि चुनाव आयोग द्वारा घोषित आदर्श आचार-संहिता का उल्लंघन हो। अतः इसे प्राथमिकता देवे।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्र. 4/कार्या.स्था./सेल-2/2020/1971

भोपाल, दिनांक 09/10/2020

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ प्रेषित:—

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, स्थानीय कार्यालय।
3. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्थानीय कार्यालय।
4. प्रभारी, एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश